(d) in case the type of training recommended by UPSC is not available within the country why they are not being sent for training in foreign country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (d): The UPSC has given a recommendation about providing training only in the case of Shri S.L. Bodat when he was selected for appointment as a Joint Director in the Computer Centre. The recommendation is that the officer may be given "plus 12 months training". There is no indication about the content of the training suggested. The UPSC has not also linked this training with his probation. In the event, this has been treated as an in-service training requirement. And, after consultation with the UPSC, it has been decided to give training in the area of his work, viz., Electronic Data Processing (EDP).

"Plus 12 months training" Courses in EDP are not available. It was, therefore, decided to sponsor the officer for the longest duration course offered by the Computer Maintenance Corporation of India, a Government of India Undertaking. The officer concerned, however, clarified that the training proposed would not be of much use to him as he already possessed sufficient knowledge on the subject. In the circumstance, he was sponsored for two other higher level courses organised by the DOPT in Madras and in Mysore. The officer attended these two courses during June 95 and July 95.

The name of this officer has been recommended to the Ministry of Finance for being considered for nomination for a training course in Japan in the area of Computer during 1995-96.

अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा किसानों को धोखा दिया जाना

1970. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्रों में कितने किसानों के साथ धोखेबाजी की गई है और इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं वसूली केन्द्रों पर किसानों को ठगने सम्बन्धी कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में शिकायतें और सुझाव

1971. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने संबंधी शिकायतों और सुझावों के विषय में संसद सदस्य से दिनांक 1 जून, 1995 तथा 21 जुलाई, 1995 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) और (ख) राज्य मंत्री (योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन) को मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को सम्बोधित श्री महेश्वर सिंह, सांसद के दिनांक 1.6.95 के पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जो उन्हें प्रतिलिपि (पृष्ठांकित) भेजी गई थी उन्हें श्री महेश्वर सिंह, सांसद का उनको सम्बोधित दिनांक 16.7.1995 का पत्र भी प्राप्त हुआ है। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सांसद द्वारा भेजे गए सुझावों की जांच की जा रही है। सांसद द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायत की आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को भेजा जा रहा है।

Restructuring Equity base of STC

1972. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to restructure the State Trading Corporation's equity base to enable it to increase its turnover and fund the Joint Venture project;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what is STC's present equity base and what will be the revised one and how STC propose to achieve it; and